

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम लक्ष्मणगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम लक्ष्मणगढ़  
 शीताकोर बनाम कश्मीर सिंह वगैरे  
 प्रा० पत्र 212 आर०टी०एक्ट० (स्थगन प्रा० पत्र)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मया इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
14.06.2021	<p>आज यह प्रार्थना पत्र 212 आर०टी०एक्ट० वकील सायला द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर मूल वाद के साथ पेश किया, कार्यालय रिपोर्ट ली गई। सायला ने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र एवं जमाबंदी सम्वत् 2069-2075 की फोटो प्रति व अन्य दस्तावेजात की फोटो प्रति पेश कर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया।</p> <p>हमने अधिवक्ता सायला की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का संतुलन सायला के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः गैरसायलान को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.08.2021 तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख० नं० 560/157 वाके ग्राम डाबरी तहसील गोविन्दगढ़ को गैरसायल संख्या 1 किसी प्रकार से रहन बय मुंतकिल नहीं करें तथा सायला को उसके हिस्सा मुताबिक शांतमय कब्जे कास्त करने में रूकावट मजामत पैदा ना करें व जबरन बेदखल ना करें। उप पंजीयक आराजी मुतनाजा के संबंध में प्रस्तुत रहनामा, बयनामा आदि दस्तावेज को तस्दीक ना करें। यदि उक्त आदेश की पालना में कोई ऐतराज हो तो नियत दिनांक 11.08.2021 को उपस्थित न्यायालय होकर जाहिर करें कि 'क्यो ना' उक्त आदेश ताफैसला दावा संपुष्ट कर दिया जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब कर दिनांक 11.08.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़, अलवर</p>	

11/8/21 - पत्रावली पेशा वकील प्रार्थना उच्च अदालत की तलबी हेतु तलवाना जारी हो पूर्व में जारी त.ः की शर्त को लक्षा में रखा जा रहा है। पत्रावली दिनांक 27/10/21 को पेश हो

27/10/21

उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़, अलवर  
 मुकाम लक्ष्मणगढ़, अलवर  
 मुकाम लक्ष्मणगढ़, अलवर

उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अलवर)

# फर्द अहकाम

यायालय.....

उपस्थित अधिकारी मुकाम.....

सीए कोर्ट

बनाम.....

गोविन्द शर्मा  
कश्मीर सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
28/4/22	<p>वकील आधी उपस्थित / P.O. साहब कोर्ट में पत्रावली है पत्रावली दिनांक 18.5.22 को पेश हो</p> <p>18.5.22 वकील आधी उप/P.O. साहब ..... पत्रावली दिनांक..... को पेश हो 16.6.22</p> <p>16.6.22 वकुलाए फरीकेन उप/P.O. साहब ..... पत्रावली दिनांक..... को पेश हो 14.7.22</p> <p>14.7.22 वकुलाए फरीकेन उप/P.O. साहब ..... पत्रावली दिनांक..... को पेश हो 25/8/22</p>	
<u>27/7/22</u>	<p>वकील आधी उपस्थित / वकील आधी के उपस्थित पत्रावली दिनांक के साथ साथ पेश हुई आधी ने उ.प.न. फेर कर दावा रखी नाम हो जाने के कारण खरीज करने का निवेदन किया गया जो नाम खरीज हो गया है। इस उप पत्र 212 RTA द्वारा मेशा आधी को खरीज किया जाता है। पत्रावली दिनांक शुभ्रा होकर सिद्ध से मश हो जाता।</p>	<p style="text-align: right;"><u>Reetankull</u> .....</p>

उपस्थित अधिकारी  
गोविन्द शर्मा (अलम)